संस्था के बहिर्नियम
और
नियम

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
AND
THE RULES

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (नीटी)
विहार सरोवर, मुम्बई-400 087

NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERING (NITIE)
VIHAR LAKE, MUMBAI - 400 087.

(अप्रैल, 2005 तक अद्यतन)
(Updated as on April 2005)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND THE RULES RELATING TO THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERING (NITIE).

In the matter of Act XXI of 1860 for the Registration of literary, scientific and charitable societies,

and

In the matter of National Institute of Industrial Engineering Society, hereinafter referred to as the Society (Registered at Bombay, vide Registration No. 88/1961 GBBSD dated 21-9-1961).

Memorandum of Association

1. (i) The name of the Society is the National Institute of Industrial Engineering Society.

   (ii) The Registered office of the Society shall be situated at Bombay.

2. In this Memorandum and the Rules made thereunder unless the content otherwise requires :

   (a) "Institute" shall mean the National Institute of Industrial Engineering.

   (b) "Society" shall mean the National Institute of Industrial Engineering Society.

   (c) "Central Government" shall mean the Government of India.

3. The objects for which the Society is established are :

   (i) To establish and to carry on the administration and management of the National Institute of Industrial Engineering. The functions of the Society shall be :

      (a) to impart knowledge and training in Industrial Engineering and other Productivity Sciences for persons from industry, technical institutions, bodies

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (नीटी) की स्थापना से संबंधित संस्था के बहिर्नियम और नियम

साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटियों के पंजीकरण के लिए
1960 के अधिनियम XXI के सम्बन्ध में

और

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान सोसायटी जिसे बाद में
सोसायटी कहा गया है।

(दिनांक 21.9.1961 की पंजीकरण संख्या 88/1961 जी बी बी एस डी
द्वारा बम्बई में पंजीकृत) के विषय में

संस्था के बहिर्नियम

1. (i) सोसायटी का नाम राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान सोसायटी है।

   (ii) सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय बम्बई में स्थित होगा।

2. इस संस्थान के बहिर्नियम और उसके अधीन बने नियमों में जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक:

   (क) "संस्थान" का आशय राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान से होगा।

   (ख) "सोसायटी" से आशय राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान सोसायटी से है।

   (ग) "केन्द्र सरकार" का आशय भारत सरकार से है।

3. सोसायटी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई है :

   (i) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान की स्थापना करना और उसके प्रशासन एवं प्रबन्धन का संचालन करना। सोसायटी निम्नलिखित कार्य करेगी:

      (क) उद्योग से संबंधित तकनीकी संस्थाओं, निकायों और संघ के व्यक्तियों को औद्योगिक इंजीनियरी और अन्य उत्पादकता विज्ञानों के क्षेत्र में जानकारी और प्रशिक्षण इस प्रकार से देना कि

and associations, connected with industry in such a way as to equip them thoroughly to practise the techniques in which they have been trained or, in appropriate cases, to instruct others in the practice of these techniques;

(b) to award diploma certificates and other distinctions to candidates educated and trained and to prescribe standards of proficiency to be demonstrated before the award of certificates of competence;

(c) to assist, institute and carry out research into matters concerning the use of Industrial Engineering and allied techniques and methods conducive to the improvement of productivity.

(d) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and medals in accordance with the Rules and Bye-laws;

(e) to confer honorary awards and other distinctions;

(f) to fix and demand such fees and other charges as may be laid down in the Bye-laws made under the Rules of the Society;

(g) to establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of students;

(h) to create administrative, technical and ministerial and other posts under the society other than the post of Director of the Institute and to make appointments thereto provided that the posts so created are in the cadre and scales of pay as approved by the Government of India from time to time. The appointment to the post of Director shall be made with the approval of the Government of India on such terms and conditions as may be decided by the Central Government: However proposals relating to emoluments structure i.e. adoption of pay scales,

वे तकनीकों का प्रयोग करने की प्रक्रिया से पूर्णत:अवगत हो जाएँ ताकि जिस क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है उस क्षेत्र में या अन्य उपयुक्त मामलों में इन तकनीकों का प्रयोग करने के लिए वे दूसरे लोगों को प्रशिक्षित कर सकें;

(ख) शिक्षित और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को डिप्लोमा प्रमाणपत्र और अन्य पदक देना तथा उस प्रवीणता का स्तर निर्धारित करना जो सक्षमता प्रमाणपत्र देने से पहले प्रदर्शित की जानी हो ;

(ग) औद्योगिक इंजीनियरी और सम्बदध तकनीकों एवं उत्पादकता के सुधार के लिए सहायक विधियों के प्रयोग से संबंधित विषयों में अनुसंधान में सहायता करना एवं उनमें अनुसंधान करना ;

(घ) नियमों और उप-नियमों के अनुसार अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और पदक देना ;

(ङ) मानक पुरस्कार और अन्य पदक देना ;

(च) ऐसे शुल्क और अन्य प्रभार निर्धारित करना और उनकी माँग करना जो सोसायटी के नियमों के अधीन निर्मित उप नियमों में निर्धारित किए जाएँ ;

(छ) विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरों और छात्रावासों की स्थापना करना, उनका अनुरक्षण करना और उनकी व्यवस्था करना ;

(ज) प्रशासनिक, तकनीकी और लिपिक वर्गीय पदों और संस्थान के निदेशक के पद को छोड़कर सोसायटी के अन्य पदों का सृजन करना और उन पदों पर नियुक्तियाँ करना बशर्ते कि इस प्रकार सृजित किए गए पद समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संवर्ग और वेतनमान में हों। निदेशक के पद पर नियुक्ति भारत सरकार के अनुमोदन पर ऐसी शर्तों के आधार पर की जाएगी जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँ तथापि परिलब्धियों जैसे कि वेतनमान, भत्तों को लागू करने

allowances and revision thereof and creation of posts of which the maximum of the pay scale exceeds Rs 15,200/- p.m. would need the prior approval of the Government of India;

(i) to collaborate with educational institutions, professional bodies and industrial institutions in India and other developed and developing countries of the world having objects wholly or partly similar to those of Society by exchange of teachers, scholars and generally in such manner as may be conducive to their common objects;

(j) to create patronship, affiliations and other classes of professional or honorary or technical membership or office as the Society may consider necessary;

(k) to conduct Quality Improvement Programme in Industrial Engineering;

(l) to undertake sponsored research and consultancy on a very selective basis;

(m) to evolve and suggest norms, standards in various areas of Industrial Engineering;

(n) to disseminate information, research results etc. in respect of various fields of Industrial Engineering;

(o) to contribute in the process of Industrial development by promoting self-employment and helping in the formulation of national policies related to resource, energy and environment;

(p) to contribute to the improvement of productivity in the undermanaged and on traditional sectors of the economy like cottage industries, handicraft industries, agricultural and farm co-operatives, etc.

(ii) to make rules and Bye-laws for the conduct of the affairs

एवं उनकी समीक्षा करने से संबंधित प्रस्तावों और 15,200 रु. प्रतिमाह से अधिक के वेतनमान वाले पदों का सृजन करने संबंधी प्रस्तावों पर भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ;

(झ) भारत में और विश्व के उन अन्य विकसित और विकासशील देशों जिनके उद्देश्य इस सोसायटी के उद्देश्यों से पूर्णतः या अंशतः मिलते हैं, उनमें स्थित शैक्षणिक संस्थाओं, व्यावसायिक निकायों और औद्योगिक संस्थाओं के साथ अध्यापक बदलकर, छात्र बदल कर और सामान्यतः इस प्रकार से सहयोग करना जो उनके सामान्य उद्देश्यों के लिए सहायक हों;

(ञ) व्यक्तियों को संरक्षक बनाना अथवा सम्बद्ध करना और अन्य प्रकार के व्यवसायिक या अवैतनिक अथवा तकनीकी सदस्यता या पद, जिन्हें यह सोसायटी आवश्यक समझे, सृजित करना ;

(ट) औद्योगिक इंजीनियरी में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का संचालन करना ;

(ठ) अत्यधिक चयनात्मक आधार पर प्रायोजित अनुसंधान करना और परामर्श देना ;

(ड) औद्योगिक इंजीनियरी के विभिन्न क्षेत्रों में मानदण्डों, मानकों का विकास करना और सुझाव देना ;

(ढ) औद्योगिक इंजीनियरी के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में जानकारी और अनुसंधान संबंधी परिणामों आदि का प्रसार करना ;

(ण) स्व-रोजगार को बढ़ावा देकर और संसाधन, उर्जा एवं पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में सहायता करके औद्योगिक विकास की प्रकिया में योगदान देना ;

(त) कुटीर उद्योगों, हस्तकला उद्योगों, कृषि और फार्म-सहकारी आदि जैसे अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित और परम्परागत क्षेत्रों में उत्पादकता की वृद्धि में योगदान देना ।

(ii) सोसायटी के कार्यों के संचालन के लिए नियम और उप-नियम

of the Society and to add to, amend, vary or rescind them from time to time, with the approval of the Central Government;

(iii) to acquire and hold property, provided that prior approval of the Central Government is obtained for the acquisition of immovable property;

(iv) to deal with any property belonging to or vested in the Society in such manner as the Society may deem fit for advancing its objects, provided that prior approval of the Central Government is obtained for transfer of any immovable property;

(v) to maintain a Fund to which shall be credited;

(a) all moneys provided by the Central Government;

(b) all fees and other charges received by the Society;

(c) all moneys received by the Society by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers; and

(d) all moneys received by the Society in any other manner or from any other sources.

(vi) to deposit all moneys credited to the fund in such Banks as the Society may, with the approval of the Central Government, decide (i.e. State/Nationalised Banks) and to invest any surplus funds not needed for immediate Research work etc., only in deposits in State Bank of India/Nationalised Banks or Govt. securities.

(vii) to meet the expenses of the Society including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions out of the fund;

(viii) to prepare and maintain accounts and other relevant records and to prepare an annual statement of accounts including

बनाना और केंद्र सरकार की अनुमति से समय-समय पर उनमें परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन करना या उन्हें निरस्त करना;

(iii) सम्पत्ति अर्जित और उस पर कब्जा बनाए रखना बशर्ते कि अचल सम्पत्ति अर्जित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई हो ;

(iv) सोसायटी से संबंधित या सोसायटी में निहित किसी भी संपत्ति के संबंध में इसके उद्देश्यों की प्रगति के लिए इस प्रकार से कार्य करना कि जैसा कि सोसायटी उचित समझे बशर्ते कि किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई हो ;

(v) निधि रखना जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी :
   (क) केंद्र सरकार द्वारा दी गई समस्त धनराशि ;
   (ख) सोसायटी द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और अन्य प्रभार ;
   (ग) अनुदान, उपहार, दान, उपकार, वसीयत या अंतरण के रूप में सोसायटी द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि और ;
   (घ) किसी भी अन्य प्रकार से या किसी भी अन्य स्रोतों से सोसायटी द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि।

(vi) निधि में जमा की गई समस्त धनराशि को ऐसे बैंकों में जमा करना जिन्हें केंद्र सरकार के अनुमोदन से सोसायटी निश्चित करे (अर्थात स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक) और जो निधि तत्काल अनुसंधान कार्य आदि के लिए अपेक्षित न हो ऐसी अधिशेष निधि को केवल भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंको में या सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करें;

(vii) सोसायटी के व्यय और सोसायटी की शक्तियों का प्रयोग करने और इसके कार्यों का निर्वाह करने में किए गए व्यय की पूर्ति इस निधि से करना ;

(viii) लेखा और अन्य सुसंगत रिकार्ड तैयार करना और उन्हें रखना तथा

the balance sheet of the Society in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Accountant General, Bombay;

(ix) Please see Rule 18 (Page No. 17);

(x) to do all such things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the Society;

(xi) to constitute such Committee or Committees as it may deem fit for the disposal of any business of the institute or for tendering advice in any matter pertaining to the institute;

(xii) to delegate any of its powers to the Board of Governors of the Institute or any of the Committee or Committees constituted by it.

4. (i) The Institute shall be open to persons of either sex, and of whatever race, creed, caste or class, and no test or conditions shall be imposed as to religious belief or profession in admitting students or appointing members, teachers, and other staff of the Institute;

(ii) No benefaction shall be accepted by the Society which, in its opinion, involves condition or obligations opposed to the spirit and object of this paragraph.

5. The Central Government may at any time appoint one or more persons to review the work and progress of the Society or the Institute and to hold any enquiry into the affairs thereof and to report thereon, in such manner as the Central Government may stipulate. Upon receipt of any such report, the Central Government may take such action and issue such directions as it may consider necessary in respect of any of the matters dealt with in the report regarding the Society or the Institute, as the case may be and the Society shall be bound to comply with such directions.

सोसायटी तुलनपत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे फार्म में तैयार करना जिसे महा–लेखाकार, मुंबई के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाए ;

(ix) कृपया नियम 18 (पृष्ठ सं. 17) देखें ;

(x) ऐसे सभी कार्य करना जो सोसायटी के सभी या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, प्रासंगिक या सहायक हों;

(xi) ऐसी समिति या समितियाँ बनाना जो संस्थान के किसी भी कार्य को निपटाने या संस्थान से संबंधित किसी भी विषय में परामर्श देने के लिए उपयुक्त हों ;

(xii) संस्थान के शासी मंडल या इसके द्वारा गठित किसी भी समिति या समितियों को अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन।

4. (i) इस संस्थान में लिंग, वंश अन्य जाति या वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा और विद्यार्थियों को भर्ती करने या संस्थान के सदस्यों, अध्यापकों और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए आर्थिक विकास व व्यवसाय के आधार पर कोई भी परीक्षण या शर्त नहीं रखीं जाएगी ;

(ii) सोसायटी उपकार के रूप में ऐसी कोई भी धनराशि स्वीकार नहीं करेगी जिसमें इसकी राय में ऐसी शर्तें या बाध्यताएँ हों जो सोसायटी के विचारों और उद्देश्यों के विपरीत हों।

5. केंद्र सरकार, सोसायटी या संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने और उसके कार्यों की जाँच करने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को किसी भी समय ऐसे किसी भी ढंग से नियुक्त कर सकती है जिस प्रकार से केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे। ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद केंद्र सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकती है और ऐसे निर्देश दे सकती है जो यथास्थिति सोसायटी या संस्थान से संबंधित रिपोर्ट में दिए गए किसी भी विषय के संबंध में वह आवश्यक समझे और सोसायटी उन निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

6. In case the Central Government is satisfied that the Society or the Institute is not functioning properly, the Central Government shall have the power to take over the Administration and assets of the institute.

7. If on winding up or dissolution of the Society, there shall remain, after satisfaction of all its debts and liabilities, any assets and property whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the Society or any of them but shall be given to a Society/Institute with similar objects as the Central Government may determine.

8. The names, addresses and occupations of the first members of the Governing Body of the Society to which by the Rules and the Bye-laws of the Society, the Management of its affairs is entrusted, are;

1.	The Chairman appointed by the Central Government	(Name & Address	Chairman
2.	Nominee of the Central Government to represent its Ministry of Finance	-do-	Member
3.	Nominee of the Central Government to represent its Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs	-do-	-do-
4.	Nominee of the Central Government to represent its Ministry of Commerce and Industry	-do-	-do-
5.	Representative of the National Productivity Council	-do-	-do-
6.	Representative of the All India Council for Technical Education	-do-	-do-

6. यदि केन्द्र सरकार यह समझे कि सोसायटी या संस्थान उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो केंद्र सरकार को संस्थान का प्रशासन और उसकी परिसम्पत्तियाँ अपने कब्जे में लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. यदि सोसायटी बंद कर दी जाती है या उसका विघटन हो जाता है तथा इसके सभी ऋणों और देयताओं की अदायगी किए जाने के बाद, इसकी कोई परिसंपत्ति और संपत्ति शेष रह जाती है तो वह सोसायटी के सभी सदस्यों या किसी भी सदस्य को अदा या वितरित नहीं की जाएगी बल्कि उसे समान उद्देश्य वाली सोसायटी/संस्थान को दिया जाएगा जैसा कि केन्द्र सरकार निर्धारित करे।

8. सोसायटी के जिस शासी निकाय को सोसायटी के नियमों और उप-नियमों के द्वारा इसके प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है उस शासी निकाय के प्रथम सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

1.	अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त	(नाम और पता)	अध्यक्ष
2.	वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार का नामिती	वही	सदस्य
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार का नामिती	वही	वही
4.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार का नामिती	वही	वही
5.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का प्रतिनिधि	वही	वही
6.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का प्रतिनिधि	वही	वही

7,8,9 & 10. Four representatives of Industry including public enterprises nominated by the Central Government	(Name & Address	Member
11 & 12. Two representatives of the Workers Organisations nominated by the Central Government.	-do-	-do-
13 & 14. Two members representing other interests such as Engineering profession, technical institutions etc. nominated by the Central Government.	-do-	-do-
15. The Director of the Institute	-do-	(Ex-officio Member & Secretary)

A copy of the Rules of the Society, certified to be correct copy by Members of the Society is filled along with this Memorandum of Association.

We, the several persons whose names, addresses and occupations are given below, having associated ourselves for the purpose described in the Memorandum of Association do hereby subscribe our names to this Memorandum of Association and set our several and respective hands hereunto and form ourselves into a Society under Act-XXI of 1860.

This ------------------------------------ day of ----------------------------1961.

7,8,9, एवं 10- केन्द्र सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक उद्यमों सहित उद्योग मंत्रालय के चार प्रतिनिधि।	वही	वही
11 एवं 12. केन्द्र सरकार द्वारा नामित कामगार संगठनों के प्रतिनिधि।	वही	वही
13 एवं 14. इंजीनियरी व्यवसाय, तकनीकी संस्थाओं आदि के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो प्रतिनिधि जो केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए गए हों।	वही	वही
15. संस्थान का निदेशक।	वही	(पदेन सदस्य एवं सचिव)

इस संस्था बहिर्नियम के साथ सोसायटी के नियमों की एक प्रति, जो सोसायटी के सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जाए, संलग्न की जाती है।

हम, विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे दिए गए हैं, इस संस्था के बहिर्नियम में वर्णित प्रयोजन के लिए स्वयं को सम्मिलित करते हैं और एकमत द्वारा इस संस्था के बहिर्नियम के लिए अपने नाम देते हैं और हम सब अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं तथा 1860 के अधिनियम XXI के अधीन स्वयं को एक सोसायटी के रूप में संगठित करते हैं।

यह-----------------1961 का-----------------दिन

SL No.	Names, addresses & occupations of Members	Signature of Member	Names, addresses & occupations of witnesses	Signature of witnesses
1.	**Shri N. Dandekar,** (ICS Retd.), Southlands, 177, Upper Colaba, Bombay 5.	Sd/- N. Dandekar		
2.	**Shri A. V. Venkateshwaran,** Financial Adviser, Ministry of Finance Dept. of Expenditure New Delhi.	Sd/- A. V. Venkateshwaran		
3.	**Shri G. K. Chandiramani,** Jt. Educational Adviser (T), Ministry of S. R. & C. A., New Delhi.	Sd/- G. K. Chandiramani		
4.	**Shri B. D. Kalelkar,** Senior Industrial Adviser (Engg.) Ministry of Commerce & Industry, (Development Wing) New Delhi.	Sd/- B. D. Kalelkar		
5.	**Shri H. D. Shourie,** Executive Director, National Productivity Council, 38, Golf Links, New Delhi.	Sd/- H. D. Shourie		
6.	**Shri T. R. Gupta,** General Manager (Works), Jay Engineering Works Ltd., 183 A, Prince Amarsingh Road, Bhakuria, Calcutta	Sd/- T. R. Gupta		
7.	**Shri S. Moolgaokar,** Managing Director TELCO, Bombay House, Bruce Street, Bombay 1.	Sd/- S. Moolgaokar		

क्रम सं	सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय	सदस्य के हस्ताक्षर	साक्षियों के नाम, पते और व्यवसाय	साक्षियों के हस्ताक्षर
1.	**श्री एन. दाण्डेकर,** (भा.सि.सेवा से सेवानिवृत्त) साउथलैंड, 177, अपर कोलाबा, बंबई - 5	ह./- एन.दाण्डेकर		
2.	**श्री ए.वी. वेंकटेश्वरन** वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली	ह./- ए.वी.वेंकटेश्वरन		
3.	**श्री.जी.के. चंदीरमानी** संयुक्त शैक्षिक सलाहकार(टी.) एस. आर एवं सी.ए.मंत्रालय, नई दिल्ली	ह./- जी.के.चंदीरमानी		
4.	**श्री बी.डी. कालेकर,** वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (इंजी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (विकास विंग) नई दिल्ली	ह./- बी.डी.कालेकर		
5.	**श्री एच.डी. शौरी,** कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, 38 गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली	ह./- एच.डी. शौरी		
6.	**श्री टी आर.गुप्ता, महा-प्रबंधक(वर्क्स)** जय इंजीनियरी वर्क्स लि. 183 ए, प्रिंस अमर सिंह रोड भाकुरिया , कलकत्ता	ह./- टी.आर गुप्ता		
7.	**श्री एस. मूलगावकर,** प्रबंध निदेशक, टेल्को बॉम्बे हाउस, ब्रुस स्ट्रीट, बंबई	ह./- एस.मूलगावकर		

NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERING SOCIETY

Rules

1. The registered office of the Society shall be situated at Bombay.

2. The Society shall for the time being consist of the following members :

1. Chairman	- To be appointed by the Central Government
2, 3 & 4	- Three nominees of the Central Government representing its Ministries of Finance, Scientific Research and Cultural Affairs and Commerce and Industry.
5.	- One representative of the National Productivity Council.
6.	- One representative of the All India Council for Technical Education.
7, 8, 9, & 10.	- Four representatives of Industry including Public enterprises nominated by the Central Government.
11 & 12.	- Two representatives of Workers organisations nominated by the Central Government.
13 & 14.	- Two members representing other interests such as Engineering Profession, technical institutions etc. nominated by the Central Government.
15.	- The Director of the Institute (Ex-Officio-Member).
16.	- Registrar (Ex-Officio-Secretary).

3. If a member of the Society shall change his address, he may notify to the Secretary his new address; but if he fails to notify such new address, his address as recorded on the rolls of the members shall be deemed to be his address.

4. The general superintendence, direction and control of the affairs of the Society and its income and property shall be

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान सोसायटी

नियम

1. सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय बंबई में होगा।
2. सोसायटी में फिलहाल निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. अध्यक्ष	— केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।
2,3 एवं 4.	— केंद्र सरकार के तीन नामिती, जो वित्त, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य एवं वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।
5.	— राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का एक प्रतिनिधि
6.	— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि।
7,8,9 एवं 10.	— सार्वजनिक उद्यमों सहित उद्योग के 4 प्रतिनिधि, जो केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाएँ।
11 एवं 12.	— केंद्र सरकार द्वारा नामित कामगार संगठनों के प्रतिनिधि।
13 एवं 14.	— इंजीनियरी व्यवसाय, तकनीकी संस्थाओं आदि जैसे अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्र सरकार द्वारा नामित दो सदस्य।
15.	— संस्थान का निदेशक (पदेन-सदस्य)।
16.	— कुलसचिव (पदेन सचिव)।

3. यदि सोसायटी का कोई सदस्य अपना पता बदलता है तो वह अपना नया पता सचिव को अधिसूचित करेगा लेकिन यदि वह अपना नया पता अधिसूचित नहीं करता तो सदस्य सूची में दर्ज उसके पते को ही उसका पता माना जाएगा।

4. सोसायटी का सामान्य अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण तथा इसकी आय और संपत्ति को सोसायटी के शासी निकाय में

vested in the Governing Body of the Society, which shall be called the Board of Governors, National Institute of Industrial Engineering hereinafter referred to as "The Board".

5. The Board shall be composed of the following members:

1. Chairman *(Vice-Chairman)	- To be appointed by the Central Government
2, 3 & 4	- Three nominees of the Central Government representing its Ministries of Finance, Scientific Research & Cultural Affairs and Commerce and Industry.
5.	- One representative of the National Productivity Council.
6.	- One representative of the All India Council for Technical Education.
7, 8, 9 & 10.	- Four representatives of Industry including Public enterprises nominated by the Central Government.
11 & 12	- Two representatives of Workers Organisations nominated by the Central Government.
13 & 14	- Two members representing other interests such as Engineering Profession, Technical Institutions etc. nominated by the Central Government.
15 & 16	- Two members representing interests such as industrial Engineering, Productivity Science, etc. to be co-opted by the Board.
17.	- One representative of the Govt. Of Maharashtra to be co-opted by the Board.

* See Bye-law No. 9.

("The Chairman may nominate a member of the Board located at Bombay as Vice-Chairman"..)

18.	- The Director of the Institute (Ex-Officio-Member).

निहित कर दिया जाएगा जो शासी बोर्ड (मंडल) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान कहलाएगा जिसे बाद में " बोर्ड "(मंडल) कहा गया है।

5. बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

1. अध्यक्ष * (उपाध्यक्ष)	– केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
2,3 एवं 4.	– केन्द्र सरकार के तीन प्रतिनिधि जो वित्त, वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य एवं वाणिज्य तथा उद्योग का प्रतिनिधित्व करें।
5.	– राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का एक प्रतिनिधि।
6.	– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि।
7,8,9 एवं 10.	– सार्वजनिक उद्यमों सहित उद्योग के चार प्रतिनिधि जो केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाएँ।
11 एवं 12.	– केन्द्र सरकार द्वारा नामित कामगार संगठनों के दो प्रतिनिधि।
13 एवं 14.	– इंजीनियरी, व्यवसाय, तकनीकी संस्थाओं आदि जैसी अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्र सरकार द्वारा नामित दो सदस्य।
15 एवं 16.	– औद्योगिक इंजीनियरी, उत्पादकता विज्ञान आदि जैसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य बोर्ड द्वारा सहयोजित किए जाएँ।
17.	– महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि बोर्ड द्वारा सहयोजित किया जाए।

* उप-नियम सं. 9 देखें

("अध्यक्ष, बंबई में स्थित बोर्ड के एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामित कर सकता है" ....)

18.	– संस्थान का निदेशक (पदेन सदस्य)
19.	– संस्थान का कुलसचिव (पदेन सदस्य)

19. - Registrar of the Institute (Ex-Officio-Secretary).

20 & 21 - Two members of NITIE teaching faculty to be co-opted by the Chairman on year to year basis.

6. (i) Where a member of the Society or the Board becomes such member by reasons of the office he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office.

(ii) A member of the Society or the Board representing the Central Government shall continue to be such member during the pleasure of the Central Government.

(iii) Every other member of the Society or the Board including its Chairman shall cease to be such member on the expiry of four years from the date of his appointment or nomination but shall be eligible for reappointment or renomination, as the case may be.

(iv) Should any member representing the Central Government be prevented from attending a meeting of the Society or the Board, he shall be at liberty to appoint and authorize a representative to take his place at that meeting of the Society or the Board and such representative shall have all the rights and privileges of a member of the Society or the Board for that meeting.

7. A member of the Society or the Board shall cease to be such member if he (a) dies or (b) resigns his membership or (c) becomes of unsound mind or (d) becomes insolvent or (e) is convicted for a criminal offence involving moral turpitude or (f) if he is removed by the Central Government from the membership of Society or (g) if, except in the case of the Director of the institute, he accepts a full-time appointment in the institute or (h) if he fails to attend three consecutive meetings of the Society or the Board without the leave of the Chairman.

20 एवं 21 — राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान के शिक्षण संकाय के दो सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर सहयोजित किया जाए।

6. (i) यदि सोसायटी या बोर्ड का कोई सदस्य उसके कार्यालय में कार्य करने के कारण ऐसा सदस्य बन जाता है तो जिस समय वह उस कार्यालय में कार्य करना बंद कर देता है उस समय उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(ii) केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सोसायटी या बोर्ड का कोई सदस्य तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक कि केन्द्र सरकार उसे सदस्य रखना चाहे।

(iii) सोसायटी या बोर्ड का प्रत्येक अन्य सदस्य तथा इसका अध्यक्ष अपनी नियुक्ति या अपने नामांकन की तारीख से चार वर्ष पूरे हो जाने के बाद उसका सदस्य नहीं रहेगा लेकिन वह यथा स्थिति पुनर्नियुक्ति या पुनःनामांकन के लिए पात्र होगा।

(iv) यदि केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी सदस्य को सोसायटी या बोर्ड की बैठकों में भाग लेने से रोक दिया जाए तो वह सोसायटी या बोर्ड की बैठक में अपने स्थान पर भाग लेने के लिये किसी अन्य प्रतिनिधि को नियुक्त या प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्रतिनिधि को उस बैठक के लिए सोसायटी या बोर्ड के सदस्य के सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

7. सोसायटी या बोर्ड का कोई सदस्य निम्नलिखित स्थितियों में ऐसा सदस्य नहीं रहेगा (क) यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या (ख) यदि वह अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है या (ग) यदि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है या (घ) वह दिवालिया हो जाता है या (ड) यदि उसे किसी ऐसे दाण्डिक अपराध में दोषी ठहरा दिया जाता है जिसमें नैतिक चरित्रहीनता शामिल हो या (च) उसे सोसायटी की सदस्यता से केन्द्र सरकार द्वारा हटा दिया जाता है या (छ) संस्थान के निदेशक के मामले को छोड़कर संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या (ज) यदि वह अध्यक्ष से छुट्टी लिये बिना सोसायटी या बोर्ड की तीन लगातार बैठकों में भाग नहीं लेता।

8. (i) The Chairman of the Society or the Board may resign his office by a letter addressed to the Central Government and his resignation shall take effect from the date it is accepted by the Central Government.

(ii) A member of the Society or the Board (other than an ex-officio member or a member representing the Central Government) may resign office by letter addressed to the Chairman and such resignation shall take effect from the date it is accepted by the Chairman.

9. Any casual vacancy in the Society or the Board shall be filled by the appointment or nomination of a member by the appropriate authority entitled to make such appointment or nomination and the member appointed or nominated to fill such casual vacancy shall hold office for the remainder of the term, if any, of the member in whose place he has been appointed or nominated.

10. The Society or the Board shall function notwithstanding any vacancy therein and notwithstanding any defect in the appointment or nomination of any of its members and no act or proceedings of the Society or the Board shall be called in question merely by reason of the existence of any vacancy therein or of any defect in the appointment or nomination of any of its members.

11. (i) The Society shall meet whenever the Chairman thinks fit, provided that the Chairman shall call a meeting of the Society upon a written requisition of not less than four Members.

(ii) For every meeting of the Society fifteen days notice shall be given to the members.

(iii) Five members including the Chairman, shall constitute a quorum at any meeting of the Society.

(iv) In case of difference of opinion amongst the members the opinion of the majority shall prevail.

8. (i) सोसायटी या बोर्ड का अध्यक्ष केन्द्र सरकार को अपना त्यागपत्र भेजकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और उसका यह त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को यह केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

(ii) सोसायटी या बोर्ड का कोई भी सदस्य (पदेन सदस्य या केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य को छोड़कर) अध्यक्ष को पत्र भेजकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और उसका यह त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को यह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

9. सोसायटी या बोर्ड में कोई भी आकस्मिक रिक्ति ऐसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सदस्य की नियुक्ति या उसका नामांकन करके भरी जाएगी जो ऐसी नियुक्ति या ऐसा नामांकन करने के लिए हकदार हो और ऐसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त या नामित सदस्य उस सदस्य के कार्यकाल में शेष अवधि तक कार्य करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामित किया गया हो।

10. सोसायटी या बोर्ड इसमें कोई भी रिक्ति होते हुए भी और इसके सदस्यों में से किसी भी सदस्य की नियुक्ति या नामांकन में कोई भी त्रुटि होते हुए भी अपना कार्य करेगी और सोसायटी या बोर्ड के किसी भी कार्य या कार्यवाही के बारे में केवल इस आधार पर ही कोई पूछताछ नहीं की जाएगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान है या इसके सदस्यों में से किसी भी सदस्य की नियुक्ति या नामांकन में कोई त्रुटि है।

11. (i) अध्यक्ष जब उचित समझेगा उस समय सोसायटी की बैठक होगी बशर्ते कि अध्यक्ष सोसायटी की बैठक में कम से कम चार सदस्यों को लिखित सूचना देकर बुलाए।

(ii) सोसायटी की प्रत्येक बैठक के लिए इसके सदस्यों को पन्द्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।

(iii) यदि सोसायटी की किसी भी बैठक में अध्यक्ष सहित पाँच सदस्य उपस्थित हों तो उस बैठक की गणपूर्ति (कोरम) पूरी मानी जाएगी।

(iv) यदि सदस्यों में किसी बात पर मतभेद हो तो उसमें बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा।

(v) Each member of the Society, including the Chairman, shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Society, the Chairman shall in addition have and exercise a casting vote.

(vi) Every meeting of the Society, shall be presided over by the Chairman and, in his absence from any meeting by a member chosen from amongst themselves by the members present at the meeting.

(vii) Any resolution except such as may be placed before the meetings of the society may be adopted by circulation among all its members and any resolution so circulated and adopted by a majority of the members who have signified their approval or disapproval of such resolution shall be as effectual and binding as if such resolution had been adopted at a meeting of the Society; provided that in every such case at least four members of the Society shall have recorded their approval of the resolution.

12. Powers and Functions of the Board :

Subject to the provision of the Memorandum, the Board shall have the powers :

(i) to prepare and execute detailed plans and programmes for the establishment of the Institute and to carry on its administration & management after such establishment;

(ii) to receive grants and contributions and to have custody of the funds of the institute;

(iii) to prepare the budget estimates of the Society for each year, and to sanction the expenditure within the limits of the budget as approved by the Central Government;

(iv) to prescribe and conduct courses of study, training and research in Industrial Engineering and allied subjects;

(v) अध्यक्ष सहित सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि सोसायटी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की संख्या बराबर हो तो अध्यक्ष अपने एक मत के अलावा निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

(vi) सोसायटी की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी और यदि अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित हो तो उस बैठक की अध्यक्षता उस सदस्य द्वारा की जाएगी जो बैठक में उपस्थित सदस्यों में से चुना जाए।

(vii) सोसायटी की बैठकों में रखे जाने वाले संकल्प को छोड़कर अन्य कोई भी संकल्प सोसायटी के सभी सदस्यों के मध्य परिचालित करके स्वीकार किया जा सकता है और ऐसे संकल्प पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति देने वाले बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा इस प्रकार परिचालित और स्वीकार किया गया कोई भी संकल्प उसी प्रकार से प्रभावी और बाध्यकर होगा जैसे कि मानो वह संकल्प सोसायटी की बैठक में स्वीकार किया गया हो बशर्ते कि ऐसे प्रत्येक मामले में सोसायटी के कम से कम चार सदस्यों ने अपनी स्वीकृति दी हो।

12. बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य-

संस्थान के बहिर्नियमों के उपबन्ध के अधीन बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी :

(i) संस्थान की स्थापना के लिए ब्यौरेवार योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें निष्पादित करना तथा ऐसी स्थापना के बाद उनका प्रशासन एवं प्रबंधन करना ;

(ii) अनुदान और अंशदान प्राप्त करना एवं संस्थान की निधि सुरक्षित रखना ;

(iii) प्रत्येक वर्ष के लिए सोसायटी का बजट प्राक्कलन तैयार करना और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित बजट की सीमाओं के अंतर्गत व्यय स्वीकृत करना ;

(iv) औद्योगिक इंजीनियरी और सम्बद्ध विषयों में अध्ययन, प्रशिक्षण और अनुसंधान का पाठ्यक्रम विहित करना और उसका संचालन करना;

(v) to prescribe rules and regulations for the admission of students to the various courses of study in conformity with the policy approved in this behalf by the Central Government;

(vi) to lay down standard of proficiency to be demonstrated before the award of certificates of competence in respect of the courses offered by the institute;

(vii) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and medals;

(viii) to provide for and supervise the residence, health, discipline and the well-being of the students of the institute;

(ix) to create teaching, administrative, technical, ministerial and other posts under the institute other than the post of Director and to make appointments thereto provided that the posts so created are in the cadre and scales of pay as approved by the Government of India from time to time. The appointment to the post of Director shall be made with the approval of the Central Government on such terms and conditions as may be decided by the Central Government. However, proposals relating to emoluments structure i.e. adoption of pay scales, allowances and revision thereof and creation of posts of which the maximum of the pay scale exceeds Rs. 15,200/- p.m. would need the prior approval of the Government of India.

(x) to co-operate with any other organisation in the matter of education and training in Industrial Engineering and allied subjects;

(xi) to enter into arrangements for and on behalf of the Institute;

(xii) to sue and defend all legal proceedings on behalf of the Institute.

(xiii) to appoint Committees for the disposal of any business of the Institute or for tendering advice in any matter pertaining to the institute;

(v) अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश करने के लिए ऐसे नियम एवं विनियम विहित करना जो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित नीति के अनुरूप हों;

(vi) संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संबंध में सक्षमता प्रमाणपत्र देने से पहले दर्शाई जाने वाली दक्षता का स्तर निर्धारित करना ;

(vii) छात्रवृत्तियाँ, अध्येयतावृत्तियाँ, पुरस्कार और पदक प्रदान करना;

(viii) संस्थान के विद्यार्थियों के रिहायश, स्वास्थ्य, अनुशासन और कल्याण संबंधी उपायों की व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना ;

(ix) निदेशक के पद के अलावा संस्थान में शिक्षण, प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना बशर्ते कि इस प्रकार सृजित पद समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संवर्ग और वेतुनमान के अंतर्गत हों। निदेशक के पद पर नियुक्ति केन्द्र सरकार से अनुमोदन लेकर और ऐसी शर्तों के आधार पर की जाएगी जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। तथापि, परिलब्धियों से संबंधित प्रस्तावों जैसे कि वेतनमान एवं भत्ते लागू करना और उनकी समीक्षा करना, 15,200 रू. प्रति माह से अधिक वेतनमान वाले पदों का सृजन करना, पर इस हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ;

(x) औद्योगिक इंजीनियरी और सम्बद्ध विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में किसी भी अन्य संगठन के साथ सहयोग करना ;

(xi) संस्थान के लिए और उसकी ओर से व्यवस्था करना ;

(xii) संस्थान की ओर से सभी विधिक कार्यवाहियों पर वाद-प्रतिवाद करना ;

(xiii) संस्थान के कार्यों का निपटारा करने के लिए या संस्थान से संबंधित किसी भी विषय में परामर्श देने के लिए समितियाँ नियुक्त करना;

(xiv) to delegate to such extent as it may deem necessary, any of its powers to any office or Committee of the Board;

(xv) to consider and pass such resolutions on the annual report, the annual accounts and the financial estimates of the Society or the Institute as it thinks fit, such annual report, annual accounts and financial estimates along with the resolution passed thereon by the Board being submitted to the Central Government;

(xvi) to make, adopt, amend, vary or rescind from time to time with the prior approval of the Central Government Bye-laws for the regulations of, and for any purposes connected with the management and administration of the affairs of the Institute and for the furtherance of its objects;

(xvii) to make, adopt, amend, vary or rescind from time to time Bye-laws (a) for the conduct of the business of the Board and the Committees to be appointed by it (b) for delegation of its powers or (c) for fixing the quorum, and

(xviii) to perform such additional functions and to carry out such duties as may from time to time be assigned to it by the Central Government;

(xix) In the event of disagreement between representative of the Ministry of Finance and the Chairman of the Governing Body of the institute on the financial matter beyond the delegated powers of the Ministry/Department of Government of India, the matter may be referred to the Ministry for taking a final decision.

13. (i) The Board shall ordinarily meet once in every three months provided that the Chairman may, whenever he thinks fit on a written requisition of not less than four members call for a special meeting. Not less than fifteen days notice shall be given for every meeting of the Board and a copy of the proceedings of every meeting shall be furnished to the Central Government as soon as practicable after the Meeting.

(xiv) बोर्ड के किसी कार्यालय या समिति को अपनी शक्तियाँ इस सीमा तक प्रदान करना जहाँ तक आवश्यक समझा जाए ;

(xv) सोसायटी या संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और वित्तीय प्राक्कलनों पर ऐसे संकल्प तैयार करना और उन्हें पास करना जो इसके द्वारा उचित समझे जाएँ। ऐसी वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और वित्तीय प्राक्कलन तथा बोर्ड द्वारा उन पर पारित किए गए संकल्प केन्द्र सरकार को भेजे जाते हैं ;

(xvi) संस्थान के कार्यों के प्रबंधन और संचालन से संबंधित और उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के किसी भी प्रयोजन के लिए विनियमों के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेकर समय-समय पर उप-नियम बनाना, स्वीकार करना, उन्हें संशोधित करना, परिवर्तित करना और उन्हें निरस्त करना ;

(xvii) (क) इसके द्वारा नियुक्त बोर्ड और समिति के कार्य के संचालन के लिए (ख) अपनी शक्तियाँ प्रदान करने के लिए या (ग) गणपूर्ति (कोरम) निर्धारित करने के लिए समय-समय पर उप-नियम बनाना, स्वीकार करना, संशोधित करना, परिवर्तित करना या निरस्त करना ;

(xviii) ऐसे अतिरिक्त कार्य करना और ऐसी ड्यूटी पूरी करना जो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इसे सौंपी जाए ;

(xix) यदि वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि और संस्थान के शासी मंडल के अध्यक्ष के बीच, भारत सरकार के किसी मंत्रालय / विभाग की प्रदत्त शक्तियों के अलावा किसी वित्तीय विषय पर कोई असहमति हो तो अंतिम निर्णय लेने के लिए उस मामले को संबंधित मंत्रालय को भेजा जाएगा ;

13.(i) बोर्ड की बैठक सामान्यत: प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी परन्तु अध्यक्ष जब उचित समझे तब कम से कम चार सदस्यों को लिखित सूचना भेजकर विशेष बैठक बुला सकता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचना देनी होगी और प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की एक प्रति बैठक के बाद यथासंभव शीघ्र केन्द्र सरकार को भेज दी जाएगी।

(ii) Five members of the Board including the Chairman, shall constitute a quorum for any meeting of the Board.

(iii) In case of difference of opinion amongst the members the opinion of the majority shall prevail.

(iv) Each member of the Board including the Chairman shall have one vote and if there shall be an equity of votes on any question to be determined by the Board, the Chairman shall in addition have and exercise a casting vote.

(v) Every meeting of the Board shall be presided over by the Chairman and, in his absence from any meeting, by members present at the meeting.

(vi) Any resolution except such as may be placed before the meeting of the Board, may be adopted by circulation among all its members and any resolution so circulated and adopted by a majority of the members who have signified their approval or disapproval of such resolution shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Board, provided that in every such case at least four members of the Board shall have recorded their approval of the resolution.

14. The Board shall by resolution delegate to the Chairman, Director-cum-Secretary and other officers and staff of the Board such of its powers for the conduct of the affairs of the Board as it may consider necessary or desirable.

15. Subject to the Rules and Regulations and to any orders of the Board the Director shall be responsible for proper administration of the Institute and for the conduct of the subordinate staff under the direction and guidance of the Board.

16. The members of the Society, Board, or of any Committee appointed by the Society or the Board shall not be entitled to any remuneration from the Society or the Board; but non-official members of the society, the Board or any Committee

(ii) अध्यक्ष सहित बोर्ड के पाँच सदस्यों से बोर्ड की किसी भी बैठक की गणपूर्ति (कोरम) पूरी मानी जाएगी।

(iii) सदस्यों में मतभेद होने की स्थिति में बहुमत की राय मान्य होगी ।

(iv) अध्यक्ष सहित बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा और यदि बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जानेवाले किसी विषय पर मत बराबर-बराबर हों तो अध्यक्ष अपने एक मत के अलावा निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

(v) बोर्ड की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी और यदि वह किसी बैठक में अनुपस्थित हो तो उस बैठक की अध्यक्षता बैठक मे उपस्थित सदस्यों द्वारा की जाएगी।

(vi) बोर्ड में रखे जाने वाले संकल्प को छोड़कर अन्य कोई भी संकल्प इसके सदस्यों में परिचालित करके स्वीकार किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित किया गया एवं ऐसे संकल्प पर अपनी स्वीकृति एवं अस्वीकृति देने वाले बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया कोई भी संकल्प उसी प्रकार से प्रभावी और बाध्यकर होगा जैसे कि मानो वह संकल्प बोर्ड की बैठक में पास किया गया हो परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में बोर्ड के कम से कम चार सदस्यों ने उस संकल्प के लिए अपनी स्वीकृति दी हो।

14. बोर्ड अपने कार्यों के संचालन के लिए बोर्ड के अध्यक्ष, निदेशक व सचिव और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जिन्हें वह अनिवार्य एवं वांछनीय समझे।

15. बोर्ड के नियमों और विनियमों एवं किन्हीं आदेशों के अधीन, निदेशक संस्थान के उचित प्रशासन और बोर्ड निदेश एवं मार्गदर्शन के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों के आचार-व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा ।

16. सोसायटी एवं बोर्ड, या सोसायटी या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्य सोसायटी या बोर्ड से कोई भी पारितोषिक प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन सोसायटी, बोर्ड या इनमें से किसी भी एक के द्वारा नियुक्त समिति

appointed by either of them shall be paid by the Society such travelling and daily allowances as may be provided for in the bye-laws to be made in the behalf in respect of any journeys undertaken by them for attending the meetings if the Society, the Board or the Committee or in connection with any other business of the Society, the Board or the Committee as the case may be. Travelling and daily allowances in respect of the official members for the journeys undertaken by them for similar purposes shall be borne by the Central Government.

17. The Chairman shall have the power to invite any person or persons, not being members of the Board, to attend the meeting of the Board, but such invitees shall not be entitled to vote at the meeting.

18. Article 3 (ix) - The Accounts of the Society shall be audited annually by the Comptroller and Auditor-General of India or by any person authorised by him in this behalf and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Society to the Comptroller and Auditor General of India.

The Comptroller and Auditor-General of India, and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Society shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General has in connection with the audit of Government Accounts, and in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other necessary documents and papers.

The results of the audit shall be communicated by the Auditor to the Governing Body of the National Institute of Industrial Engineering who shall submit a copy of the Audit Report along with its observations to the Government of India, Ministry of Education and to the Society. The Auditor shall also forward a copy of the Report direct to the Government of India in the Ministry of Education.

19. (i) The Board shall submit annually, within six months after closing the previous year, a report on the working of the

के सदस्यों को सोसायटी द्वारा ऐसा यात्रा और दैनिक भत्ता अदा किया जाएगा जिसको उन उप-नियमों में उपबंधित किया गया है जो सोसायटी, बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उनके द्वारा की गई किसी भी यात्रा के संबंध में या यथास्थिति सोसायटी, बोर्ड या समिति के किसी अन्य कार्य के संबंध में उनके द्वारा की गई यात्रा के संबंध में बनाए गए हों। समान प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा की गई यात्राओं के प्रयोजनार्थ सरकारी सदस्यों के संबंध में यात्रा और दैनिक भत्तों का भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

17. अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को बुला सकता है जो बोर्ड का /के सदस्य न हों परंतु ऐसे आमंत्रित व्यक्ति बैठक में मत देने के हकदार नहीं होंगे।

18. अनुच्छेद 3 (ix)- सोसायटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा पर किया गया व्यय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सोसायटी द्वारा देय होगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और सोसायटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राप्त होंगे और विशेषत: उसे बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और आवश्यक दस्तावेज़ों और कागज़ातों की माँग करने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

लेखापरीक्षा का परिणाम लेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान के उस शासी निकाय के पास भेज दिया जाएगा जो उस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय और सोसायटी के पास भेजेगा। लेखापरीक्षक रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय को सीधे ही भेजेगा।

19. (i) बोर्ड पिछले वर्ष के दौरान संस्थान के कार्यचालन पर एक रिपोर्ट तथा पिछले वर्ष के दौरान प्राप्तियों और अदायगियों को दर्शाने वाले लेखाओं के

Institution during the previous year together with an audit report including an audited statement of accounts showing the receipts and payments during the previous year both in English and Hindi to Government of India through the administrative Ministry.

(ii) The Society shall submit to the Central Government the Budget estimates for every financial year by such date as may be fixed by the Central Government in this behalf.

20. For the purpose of Section-6 of the Registration of Society Act, the person in whose name the Society may sue or be sued shall be the Secretary of the Society.

We, the following members of the Board of Governors, certify that the Rules of the Society given above are a correct copy thereof:

1.	M. Dandekar	(Signed)
2.	G. K. Chandiramani	"
3.	A. V. Venkateswaran	"

लेखापरीक्षा किए जा चुके विवरण सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट पिछला वर्ष समाप्त होने के बाद छः महीने के भीतर प्रतिवर्ष अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों भाषाओं में तैयार करके प्रशासी मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को भेजेगा।

(ii) सोसायटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन केन्द्र सरकार को उस तारीख तक प्रस्तुत करेगी जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

20. सोसायटी अधिनियम पंजीकरण की धारा 6 के प्रयोजन के लिए वह व्यक्ति सोसायटी का सचिव होगा जिसके नाम से सोसायटी दावा दायर कर सके या जिसके नाम पर दावा दायर किया जा सके। हम, शासी मंडल के निम्नलिखित सदस्य यह प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दिए गए सोसायटी के नियम सही हैं :

1.	एम. दाण्डेकर	(हस्ताक्षरित)
2.	जी. के. चंदीरमानी	"
3.	ए. वी. वेंकटेश्वरन	"